Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012

संपूर्ण कानूनी ढांचा, मुख्य धाराएं, 2019 संशोधन, बाल-अनुकूल प्रक्रियाएं एवं हितधारकों की भूमिकाएं (Printable Complete Study Reference)

संदर्भ पुस्तक / अध्ययन सामग्री | लक्षित पाठक: कानूनी अधिकारी, DCPO, CWC, पुलिस एवं बाल सुरक्षा कार्यकर्ता

> **नोट:** यह दस्तावेज पोक्सो अधिनियम 2012, इसके 2019 के ऐतिहासिक संशोधनों, पोक्सो नियम 2020, और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों (Police, DCPO, CWC, JJB, CCI, Counsellor, Support Person) की भूमिकाओं का एक संपूर्ण प्रिंट-फ्रेंडली संकलन है।

1. पोक्सो कानून की पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता (Background & Origin)

भारत में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) लागू होने से पूर्व बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए कोई समर्पित कानून नहीं था। निम्नलिखित परिस्थितियों में इस कानून की सख्त जरूरत महसूस की गई:

(क) पुराने भारतीय कानूनों (IPC) की सीमाएं:

- **अपूर्ण कानूनी दायरा:** 2012 से पहले बाल यौन शोषण के मामलों में IPC की धारा 375 (बलात्कार), 354 (लज्जा भंग) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत मामले दर्ज किए जाते थे।
- **लड़कों को संरक्षण का अभाव:** IPC की धारा 375 केवल महिलाओं/लड़कियों के खिलाफ अपराधों को बलात्कार मानती थी, जिससे पीड़ित लड़के कानून के संरक्षण से बाहर थे।
- **गैर-शारीरिक व डिजिटल शोषण:** बिना स्पर्श किए यौन हमला, अश्लील सामग्री (बाल पोर्नोग्राफी) दिखाना या डिजिटल माध्यमों से उत्पीड़न जैसी स्थितियों को कवर करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था।

(ख) बाल यौन शोषण के आंकड़े एवं सामाजिक परिस्थितियां:

- **2007 का MWCD राष्ट्रीय सर्वेक्षण:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2007 के सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि देश के **53% बच्चों** ने किसी न किसी रूप में यौन शोषण का सामना किया था।
- **संरक्षकों व परिचितों द्वारा अपराध:** आंकड़े दर्शाते हैं कि 80% से 90% मामलों में अपराध करने वाला व्यक्ति बच्चे का कोई परिचित, रिश्तेदार या भरोसेमंद व्यक्ति होता था।
- **पीड़ित लड़कों का प्रतिशत:** सर्वेक्षण में पीड़ित बच्चों में 57% लड़के थे, जिससे लिंग-निरपेक्ष (Gender-Neutral) कानून की आवश्यकता सिद्ध हुई।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय दायित्व व संवैधानिक जनादेश:

- **UNCRC अनुसमर्थन (1992):** भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत बच्चों को यौन शोषण से बचाने का अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व था।
- **संवैधानिक सुरक्षा:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है।

2. लागू होने की तिथि एवं क्रमिक विकास (Evolution & Timeline)

- **संसद में पारित:** मई 2012 | **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** 19 जून 2012
- **लागू होने की तिथि:** 14 नवंबर 2012 (बाल दिवस के अवसर पर पूरे भारत में लागू)।
- **2019 का ऐतिहासिक संशोधन (POCSO Amendment Act 2019):**
  - गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमलों के लिए **मृत्युदंड (Death Penalty / फांसी)**और न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान जोड़ा गया।
  - बाल पोर्नोग्राफी (CSAM) को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया।
- **2019 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (FTSCs):** मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए देशभर में 1000+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना।
- **2020 के नियम (POCSO Rules 2020):** पीड़ित बच्चों के पुनर्वास, कानूनी सहायता और त्वरित अंतरिम मुआवजे के स्पष्ट निर्देश लागू।

3. मुख्य धाराएँ एवं सजा का विस्तृत वर्गीकरण (Core Sections & Penalties)

धारा (Section)	अपराध का प्रकार (Offence Type)	मुख्य तत्व (Key Elements)	सजा का प्रावधान (Punishment)
धारा 3 व 4	प्रवेशात्मक यौन हमला (Penetrative Sexual Assault)	बच्चे के गुप्तांगों, मुंह में लिंग या किसी वस्तु/अंग का प्रवेश कराना।	न्यूनतम **10 वर्ष से आजीवन कारावास**। (पीड़ित < 16 वर्ष होने पर न्यूनतम 20 वर्ष)।
धारा 5 व 6	गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला (Aggravated Penetrative)	पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर, रिश्तेदार या आपदा/हिंसा के दौरान अपराध, सामूहिक हमला, या मृत्यु होना।	न्यूनतम **20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्युदंड (फांसी)** + जुर्माना।
धारा 7 व 8	यौन हमला (Sexual Assault)	बिना प्रवेश (Non-penetrative) केवल यौन मंशा से शारीरिक स्पर्श।	न्यूनतम **3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास** + जुर्माना।
धारा 9 व 10	गंभीर यौन हमला (Aggravated Sexual Assault)	संरक्षकों/अधिकारियों द्वारा बिना प्रवेश का यौन हमला करना।	न्यूनतम **5 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास** + जुर्माना।
धारा 11 व 12	यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)	अश्लील शब्द, इशारे, पीछा करना (Stalking), पोर्नोग्राफी दिखाना।	**3 वर्ष तक का कारावास** + जुर्माना।
धारा 13, 14, 15	बाल पोर्नोग्राफी (Child Pornography / CSAM)	बच्चों का उपयोग, व्यावसायिक भण्डारण, प्रसार व रिपोर्ट न करना।	3 से 5 वर्ष तक कारावास + जुर्माना।

4. बाल-अनुकूल कानूनी एवं अदालती प्रक्रियाएँ (Child-Friendly Procedures)

पोक्सो कानून के तहत जांच और सुनवाई के दौरान बच्चे को किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या आघात से बचाने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं:

- **पुलिस द्वारा बयान (धारा 24):** बच्चे का बयान उसके घर या पसंदीदा स्थान पर दर्ज होगा। महिला पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में बयान लेगी। बच्चे को रात में थाने में नहीं रोका जाएगा और न ही आरोपी से सामना कराया जाएगा।
- **मजिस्ट्रेट द्वारा बयान (धारा 25 व 26):** CrPC 164 के तहत बयान बच्चे के अपने शब्दों में (Verbatim) दर्ज होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुवादक/विशेष शिक्षक की मदद ली जाएगी।
- **चिकित्सीय परीक्षण (धारा 27):** केवल महिला डॉक्टर द्वारा माता-पिता/अभिभावक की मौजूदगी में। आपातकालीन इलाज के लिए पुलिस मंजूरी का इंतजार नहीं किया जाएगा।
- **विशेष अदालत (Special Courts - धारा 28, 33, 35):** बंद कमरे में सुनवाई (In-Camera Trial)। आरोपी से सीधा सामना न होने देने के लिए पर्दे/स्क्रीन का प्रयोग। 30 दिनों में गवाही और 1 वर्ष में फैसले का प्रावधान।

5. अनिवार्य रिपोर्टिंग के प्रावधान (Mandatory Reporting - धारा 19 से 22)

> **अनिवार्य दायित्व:** धारा 19 के तहत यदि किसी भी नागरिक, शिक्षक, डॉक्टर या रिश्तेदार को अपराध की जानकारी या आशंका होती है, तो पुलिस या SJPU को सूचित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

- **धारा 21 (रिपोर्ट न करने पर सजा):** अपराध छिपाने या रिपोर्ट न करने पर 6 माह तक की कैद या जुर्माना। संस्था प्रभारी द्वारा रिपोर्ट न करने पर 1 वर्ष तक की कैद। (पीड़ित बच्चे पर यह लागू नहीं होता)।
- **धारा 22 (झूठी शिकायत की सजा):** किसी को बदनाम करने की नीयत से झूठी शिकायत करने पर 6 माह की कैद। (बच्चों को इस सजा से छूट प्राप्त है)।

6. प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Role of Key Stakeholders)

1. पुलिस / विशेष बाल पुलिस इकाई (SJPU):

- सूचना मिलते ही FIR दर्ज करना व CWC एवं DCPU को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भेजना।
- बच्चे के बयान सादे कपड़ों में दर्ज करना तथा गोपनीयता (Identity protection) बनाए रखना।

2. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO / DCPU):

- जिले में बाल सुरक्षा तंत्र का समन्वय करना।
- पीड़ित बच्चे के पुनर्वास, शिक्षा, आवास और मुआवजा योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

3. बाल कल्याण समिति (CWC):

- बच्चे की तुरंत देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता का आकलन करना।
- बच्चे के लिए 'सपोर्ट पर्सन' (Support Person) की नियुक्ति करना और सुरक्षित आश्रय (CCI) का आदेश देना।

4. किशोर न्याय बोर्ड (JJB):

- यदि अपराध करने वाला आरोपी स्वयं 18 वर्ष से कम उम्र का (Child in Conflict with Law) है, तो उसके मामले की सुनवाई JJB द्वारा की जाएगी।

5. बाल देखभाल संस्थान (CCI):

- पीड़ित बच्चे को सुरक्षित आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और शिक्षा का माहौल प्रदान करना।

6. काउंसलर एवं सपोर्ट पर्सन (Counsellor & Support Person):

- **काउंसलर:** बच्चे को मानसिक आघात (trauma) से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श देना।
- **सपोर्ट पर्सन:** जांच, डॉक्टरी परीक्षण व अदालती कार्यवाही के दौरान बच्चे के साथ उपस्थित रहना व उसका मनोबल बढ़ाना।

7. पीड़ित मुआवजा एवं पुनर्वास ढांचा (Victim Compensation Rules 2020)

पोक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और POCSO Rules 2020 के तहत मुआवजे का प्रावधान है:

- **तत्काल आपातकालीन राहत (Immediate Relief):** CWC की सिफारिश पर 7 दिनों के भीतर भोजन, कपड़े, परिवहन व आपात इलाज हेतु सहायता।
- **अंतरिम मुआवजा (Interim Compensation):** मुकदमे के दौरान तुरंत इलाज या पुनर्वास हेतु अदालत द्वारा जारी आदेश।
- **अंतिम मुआवजा (Final Compensation):** मुकदमा समाप्त होने पर नुकसान, मानसिक आघात और पुनर्वास के आधार पर तय राशि। आदेश मिलने के **30 दिनों के भीतर** DLSA द्वारा भुगतान किया जाता है।